रजिस्टर्ड नं० ल0-33/एस0 एम0, 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 अप्रैल, 1989/11 चैत्र, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 1989

संख्या 11-6/67-गृह(ए)-ए-II.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-6/67-गृह(ए)-II, दिनांक 26-9-1988 जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार (असाधारण), दिनांक 4-10-1988 के अंक में प्रकाशित हुई थी; के संदर्भ में तथा मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना 11-6/67-गृह(ए)-भाग-II, दिनांक 3-5-88 जो कि राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में 18 जून, 1988 के अंक में प्रकाशित हुई थी के द्वारा पूर्व परिभाषित

466-राजपत्र/89-1-4-89—1,258.

मूल्य : 20 पैसे।

क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित समय के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं :—

फरवरी, 1989	मार्च, 1989	अप्रैल, 1989	मई, 1989	जून,
2 से 4 तक	2 से 4 तक	3 से 5 तक	1 से 3 तक	1 से 3 तक
7 से 8 तक	7 से 8 तक	7 से 8 तक	5 से 6 तक	6 से 8 तक
10 से 11 तक	10 से 11 तक	10 से 11 तक	8 से 9 तक	12 से 14 तक
13 से 15 तक	13 से 14 तक	13 से 14 तक	11 से 12 तक	17 से 20 तक
17 से 18 तक	16 से 17 तक	17 से 18 तक	15 से 17 तक	22 से 24 तक
20 से 22 तक	27 से 28 तक	20 से 21 तक	19 से 20 तक	26 से 27 तक
24 से 25 तक	30 से 31 तक	24 से 25 तक	22 से 23 तक	29 से 30 तक
		27 से 28 तक	25 से 27 तक	
			29 से 30 तक	

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

भाषा एवं संस्कृति विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 18 जनवरी, 1989

संख्या भाषा-ई(3)-1/87.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या भाषा -ई(3)-1/87, दिनांक 20-12-1988 की पंक्ति में प्रस्तावित शब्द "उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, बड़सर" के स्थान पर "उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, हमीरपुर" पढ़ा जाये ।

आदेश द्वारा,
महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जनवरी, 1989

संख्या 6-35/86-पर्यटन(सचि0).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव/मौजा सुलतानपुर, ह0नं0 (18), परगना साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हैलीपैड के लिए पहुंच सड़क (अपरोच रोड) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के सम्मुख अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरण

जिला : चम्बा तहसील : चम्बा

परगना	मौजा	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बी0	बि0
साच	सुलतानपुर ह0 नं0 (18)	375/1	2	4
		389/1	2	9
		998/391/1	0	8
		1000/392/1/2	0	7
		399/1	0	11
		399/2	0	2
		कुल	4	1

आदेशानुसार,
ए0 एन0 विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 फरवरी, 1989

संख्या 6-56/81-परिवहन.—यतः राज्य सरकार का यह विचार है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है ।

2. अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजयोगा ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च फाऊंडेशन, नई दिल्ली की मोटर गाड़ियों नं0 आर0 टी0 ए0 5158, आर0 ए0 डब्ल्यू 3694 और नं0 आर0 ए0 जे0 4350 को कर क संदाय से सहर्ष छूट देते हैं ।

जी0 एस0 चम्बियाल,
सचिव ।

में बेलदार के पद पर कार्यरत थे, ने मस्टोल पर अपनी हाजरियां दिनांक 23-10-85, 5-11-85, 18-11-85, 23-12-85, 6-1-86, 28-1-86, 15-2-86, 5-3-86, 21-3-86, 14-4-86, 28-4-86, 9-5-86, 26-5-86, 5-7-86, 28-8-86, 8-9-86, 11-9-86, 6-10-86, 21-10-86, 21-12-86, 21-1-87, 21-2-87, 21-3-87, 5-4-87, 5-5-87, 5-6-87, 24-6-87, 20-7-87 तथा 21-7-87 की लगाई जबकि इन्हीं दिनों को उक्त श्री जगत राम पंचायत बैठकों में तथा अन्य पंचायत कार्यों में उपस्थित था तथा उसने उपरोक्त दिनों की मजदूरी भी सिंचाई विभाग से प्राप्त की है। उक्त श्री जगत राम पर पंचायत की पाईप चोरी करने का भी आरोप है ;

क्योंकि उपरोक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, मण्डी के माध्यम से इस कार्यालय में भेजने की कृपा करें ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

शिमला-2, 9 जनवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)18/88.—क्योंकि श्री फतेह सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड पांवटा, जिला सिरमौर के विरुद्ध पंचायत सभा निधि के 3530/- रुपये के दुरुपयोग के प्रयत्न का आरोप है । पंचायत घर की मुरम्मत का ठेका ग्राम पंचायत द्वारा श्री बलजीत सिंह को दिया गया तथा उक्त प्रधान ने मु0 6375/- रुपये का भुगतान उक्त ठेकेदार को किया जबकि विकास खण्ड पांवटा के कनिष्ठ अभियन्ता की असैसमेन्ट रिपोर्ट द्वारा पंचायत घर की मुरम्मत का कार्य केवल 2845/- रुपये का हुआ बताया है किन्तु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), पांवटा की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट तथा उक्त प्रधान को दिये गये नोटिस के फलस्वरूप उक्त ठेकेदार ने अधिक प्राप्ति की गई राशि दो किस्तों क्रमशः 3000/- व 530 रु0 वापिस पंचायत निधि में जमा कर दी । इस प्रकार उक्त प्रधान के विरुद्ध 3530/- रुपये की धन राशि पंचायत सचिव (सेवा निवृत) तथा ठेकेदार से मिली-भगत करके हड़प करने के प्रयत्न का आरोप है ;

और क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देतें हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश सिरमौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित करने की कृपा करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
संयुक्त सचिव ।

शिमला-2, 13 जनवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए(5)111/86.—क्योंकि श्री विनोद कुमार, पंच वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत निचला ग्रोड, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी को पंचायत बैठकों में भाग न लेने पर निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और क्योंकि उक्त श्री विनोद कुमार पंच ने 6-12-88 से पंचायत बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त श्री विनोद कुमार के 6-12-88 से पंचायत की बैठकों में भाग लेने के विषय के दृष्टिगत उसके पिछले अनुपस्थितिकाल को दृष्टि अवगत करते हुए भविष्य में उसे सतर्क रहने का आदेश देते हैं। यदि भविष्य में किसी कारण वश वे पंचायत की बैठकों में भाग लेने में असमर्थ हों तो इसकी सूचना उन्हें यथासमय पंचायत को देनी होगी।

शिमला-2, 3 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0 एच0-एच0ए0(5) 180/77.—क्योंकि श्री रीपन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड चौहारा के विरुद्ध यूको बैंक चड़गांव में ग्राम पंचायत का जाली प्रस्ताव प्रस्तुत करके 12-12-87 को पंचायत के बचत खाते से 1000/- रुपये की राशि निकालने का आरोप है;

और क्योंकि उक्त प्रधान को इस कृत्य के लिए सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1988 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था किन्तु अपने उत्तर में उक्त आरोप को प्रधान ने मानने से इन्कार किया है;

और क्योंकि उपरोक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जरूरी है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी, शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं और साथ-2 यह भी आदेश देते हैं कि वे अपनी विस्तृत नियमित जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर-2 जिलाधीश शिमला के माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

शिमला-2, 9 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 47/88.—क्योंकि पंचायत दरकोटी ने अपने प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 12-4-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री लयाकत अली उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दरकोटी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला मास जनवरी, 1988 से पंचायत बैठक में अनुपस्थित रह रहे हैं;

क्योंकि उन्हें इसी कृत्य के लिए इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अगस्त, 1988 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था जिनका उत्तर भी उनसे प्राप्त नहीं हुआ है;

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपसम्भागीय अधिकारी (अ0), रोहड़ू, जिला शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश शिमला के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे;

शिमला-2, 9 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 53/83.—क्योंकि ग्राम पंचायत सूलह, विकास खण्ड भवारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने अपने प्रस्ताव संख्या-111, दिनांक 9-11-87 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री बलबीर सिंह,

उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सुलह 31-8-87 से लगातार बिना पंचायत को सूचित किये पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं , जबकि पंचायत चौकीदार द्वारा उन्हें पंचायत की बैठकों की सूचना दी जाती रही है ;

क्योंकि उप-प्रधान ग्राम पंचायत सुलह का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है श्री बलबीर सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत सुलह को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते है कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर-2 जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

शिमला-2, 9 जनवरी, 1989

संख्या 0 पी0सी0एच0-एच0(5) 57/97.—क्योंकि श्री सुभाष चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत दयाल ने ग्राम पंचायत की उस 2000/- रुपये की राशि का दुरुपयोग/अपहरण किया है जो ग्राम पंचायत ने श्री हरजिन्दर सिंह ठेकदार से 26-6-86 को मछली तालाब की नीलामी के फलस्वरूप प्राप्त की थी ।

क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । वह अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे ।

शिमला-2, 23 फरवरी, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0-ए0(5) 80/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत गरहाणा ने अपने पत्र संख्या 3/88, दिनांक 5-1-88 द्वारा सूचित किया है कि श्री रूप सिंह पंच, ग्राम पंचायत गरहणा, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर 20-9-87 से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवी व जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपूर ने की है।

क्योंकि श्री रूप सिंह, पंच का पंचायत की बठकों से अनुपस्थित रहना पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्री रूप सिंह, पंच, ग्राम पंचायत गरहणा को निलम्बनार्थ कारण बताओ सूचना देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश बिलासपुर क माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 23 फरवरी, 1989

संख्या 0 पी0 सी0 एच0-एच0-ए0(5) 80/88.-क्योंकि ग्राम पंचायत गरहाणा ने अपने पत्र संख्या 3/88, दिनांक 5-1-88 द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती निर्मला दवी सह-विकल्पित महिला पंच लगभग 4 माह से पचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रहा है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी बिलासपुर ने की है;

क्योंकि श्रीमती निर्मला देवी सह-विकल्पित महिला पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1977 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्रीमती निर्मला देवी, सह-विकल्पित महिला पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

शिमला-2, 23 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 51/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत डीव, डाकघर ओडी, तहसील कुमारसेन, जिला शिमला ने अपने पत्र संख्या 13/88, दिनांक 19-11-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री राकेश कुमार, पंच 8-12-86 से पंचायत की बैठकों में लगातार भाग नहीं ले रहे हैं । जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, नारकण्डा ने भी की है ;

और क्योंकि श्री राकेश कुमार पंच का इस तरह पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहना पंचायत की कार्यवाही के प्रति उनकी उदासीनता का प्रतीक है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए, श्री राकेश कुमार, पंच, ग्राम पंचायत डीव को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर इस कार्यालय में शीघ्र जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

शिमला-171002, 4 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच.-एच0ए0(5) 44/83.—क्योंकि श्री ब्रह्मदास, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत कार गुजागीर, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर ने जिलाधीश द्वारा 24-1-1989 को जारी निलम्बन आदेशों को चुनौती दी है ;

और क्योंकि राज्य सरकार ने उक्त श्री ब्रह्मदास की प्रार्थना पर विचार करने के बाद निलम्बन आदेशों को समाप्त करने का निर्णय लिया है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत जहां जिलाधीश, हमीरपुर के आदेश संख्या पंच एच0-एम0आर-ग(4)-1/82-7078-81, दिनांक 24-1-89 को समाप्त करने का आदेश देते हैं वहां जिलाधीश के उक्त आदेशों में अंकित आरोपों को अतिरिक्त जिला-दण्डाधिकारी, हमीरपुर द्वारा जांच कराने का भी सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
संयुक्त सचिव ।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5) 42/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 20-6-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री प्रेमलाल 11/87 से पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा तथा जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने की है ।

क्योंकि उक्त पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में विघ्न डाल रहा है तथा पंच का अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है के अन्तर्गत श्री प्रेम लाल, पंच का निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाय । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए(5) 42/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20-6-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री सुखराम, पंच दिनांक 20-6-87 से पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा तथा जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने की है ;

क्योंकि उक्त पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में विघ्न डाल रहा है तथा पंच का अपने अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री सुखराम (पंच) को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है के अन्तर्गत श्री सुख राम पंच को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5) 3/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13 फरवरी, 1989 को इसलिए समाप्त करने का आदेश देते हैं क्योंकि श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर को उनके कथनानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर नहीं मिला है ।

इस आदेश का उक्त श्री लक्ष्मण दास के विरुद्ध चली जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच-एच.ए(5) 3/88.—क्योंकि उप-निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश द्वारा 11/88 के दौरान किये गये ग्राम पंचायत भरमौर के निरीक्षण पर तथा भलकौता ग्राम निवासियों की शिकायतों पर निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं जो श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा की कार्य कुशलता के विरुद्ध जाते हैं ;

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 13 के अन्तर्गत मास में एक पंचायत बैठक का होना अनिवार्य है परन्तु 4/87 तथा 11/88 के बीच केवल तीन बैठकें हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रावधान की स्पष्ट उलंघना हो रही है जिसके लिए उचित स्थान का न होना कारण बताया गया है जो अनुचित है क्योंकि स्थान की व्यवस्था करना भी प्रधान का कार्य है ।

4/87 से 11/88 के बीच कोई भी बैठक ग्राम सभा की नहीं हुई जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की स्पष्ट उलंघना है । ग्राम सभा की अनुमति तथा बजट पास हुए बगैर जो भी खर्च हुआ है वह अनियमित है ।

अप्रैल 87 से नवम्बर, 1988 की अवधि में केवल अप्रल, 88 व मई, 88 में किये गये व्यय पंचायत द्वारा पारित है । बाकी सारे व्यय अनियमित हैं जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त, बजट लेखा आदि नियम, 1975 के नियम 6 की स्पष्ट उलंघना है ।

भरमौर में बना पंचायत का विश्राम गृह घाटे में चल रहा है और उसके लिए मुख्यतः प्रतिदिन ठहरन की दर का 5/- रुपये होना तथा और कोई फालतु खर्च हो सकता है घाटे की इस बात को यदि कभी पंचायत के सम्मुख रखा जाता तो पंचायत इसका समाधान ढूंढती ।

शिक्षा विभाग के मलकौता में स्थित प्राथमिक पाठशाला भवन को उनकी अनुमति लिए बगैर गिराना, भवन को गिराते समय प्राप्त सामग्री की सूची तैयार न करना तथा बाकी बची सामग्री को बेचने से प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा न करना एक ऐसा कृत्य है जो कि अवैध ही नहीं बल्कि पंचायत की गैर-जिम्मेदाराना प्रवृत्ति का सूचक भी है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायती नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये, श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की जारी तारीख से एक माह के भीतर-2 जिलाधीश चम्बा के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित।-
संयुक्त सचिव ।

शिमला–171002, 14 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच-एच0 ए (5) 42/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 20-6-1988 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री कलो राम, पंच, ग्राम पंचायत मायली दिनांक 20-2-1987 से पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रह रहे हैं जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा तथा जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने की है ;

क्योंकि उक्त पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में विघ्न डाल रहा है तथा पंच का अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अंतर्गत जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है, श्री कलो राम पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस

की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-171002, 15 मार्च, 1989

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए (5) 196/77.—क्योंकि श्री प्रकाश चन्द, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भौरंज, जिला हमीरपुर के विरुद्ध गबन/अनियमितताओं के निम्नलिखित आरोप सामने आये हैं :—

1. कि उसने दिनांक 22-4-1987 के बाद कोई भी व्यय पंचायत की बैठकों में पारित नहीं करवाया तथा ग्राम पंचायत की अनुमति बिना पशु मेला जाहू पर मु0 91412 रुपये व्यय किये तथा इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त, बजट लेखा, अकेंक्षण कराधान सेवा तथा भत्ते नियम, 1975 के नियम 4 की उलंघना की है।

2. कि उसने बिना पंचायत के प्रस्ताव के पंजाब नैशनल बैंक जाहू तथा डाकघर जाहू से पंचायत के बचत लेखों से हजारों रुपये निकालकर व्यय किये तथा जाली प्रस्ताव पारित करके पंजाब नैशनल बैंक जाहू से 735/- रुपये प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11-6-1988 द्वारा मु0 760.20 रुपये प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 6-7-1988 द्वारा तथा 3160/- रुपये की राशि प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 6-7-88 द्वारा निकाली है परन्तु पंचायत में ऐसे कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं।

3. कि 24-4-1988 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा कमेटी बनाकर यह पास किया गया है कि कमेटियों की अनुमति लिये बिना मेले पर व्यय न किया जाये परन्तु प्रधान ने स्वेच्छापूर्वक 22532/- रुपये की राशि व्यय की है।

4. कि उसने पंजाब नैशनल बैंक जाहू से मु0 50,000/- रुपये की राशि प्राप्त करके बतौर ऋण बिना किसी स्वीकृति के जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1968 की धारा 45 की उलंघना की है।

5. कि 9/87 में हुए पशु मेला जाहू में श्री कालीदास एण्ड सन्ज जाहू से 517.40 रुपये का राशन इत्यादि सामान प्राप्त किया परन्तु इस दुकान से मु0 1736.15 रूपये की अदायगी का बिल प्राप्त करके प्रधान द्वारा 1218.75 रुपये अधिक व्यय रोकड़ में दर्ज करके इसका गबन किया।

6. कि उक्त प्रधान ने गली निर्माण कार्य डोहग में जाहू खुर्द का मस्ट्रोल मास 7/88 में 2320/- रुपये की बजाए 3170 रुपये रोकड़ में दर्ज किये हैं तथा इस प्रकार 850/- रुपये की राशि अधिक दर्ज की है।

7. 16-10-1986 को डाकघर जाहू के पंचायत बचत लेखा से 500/- रुपये निकालकर 30-4-87 को रोकड़ में दर्ज किये तथा इस तरह मु0 5000/- रुपये की राशि छः मास से भी अधिक अवधि तक अपने पास रखी।

8. यह कि जांच के समय दिनांक 5-9-88 को उसके पास मु0 4153.63 रुपये की नकद शेष राशि थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उसने हिमाचल प्रदेश सामान्य वित्त बजट लेखा अकेंक्षण कराधान सेवा भता नियमावली, 1975 के नियम 8 की उलंघना की है।

9. पंजाब नैशनल बैंक जाहू से 11/87 में निकाली गई राशियां 4-6-88 के बाद रोकड़ में दर्ज की। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य वित्त, बजट, लेखा, अर्केक्षण, कराधान सेवा, भत्ता नियमावली, 1975 के नियम 9 की उलंघना की है।

10. कि पंचायत का स्टाक भी सत्यापित नहीं किया गया तथा नकद बाकी भी प्रमाणित नहीं की जाती रही जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य वित्त, बजट, लेखा, अर्केक्षण कराधान सेवा, तथा भत्ता नियमावली 1975 के नियम 10 की उलंघना है।

11. कि अर्केक्षण पत्र अवधि 4/86 से 3/87 की अनुपालना न करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य वित्त, बजट, लेखा, अर्केक्षण, कराधान सेवा तथा भत्ता नियमावली, 1975 के नियम 30 की उलंघना की है।

12. कि 10-6-1988 को हुई पंचायत की कार्यवाही पंचों की जानकारी के बिना पारित की तथा कार्यवाही पुस्तक में उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर भी नहीं कराये और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अंन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), हमीरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त हमीरपुर की टिप्पणियों सहित शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

शिमला–171002, 15 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-26/77.—क्योंकि श्री हरनाम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत करगानु, विकास खण्ड पच्छाद के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के फलस्वरुप निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं।

1. कि प्रधान श्री हरनाम सिंह ने धर्मासन का सभापतित्व करते हुए श्रीमती देवकू पत्नी श्री नरपत बनाम श्री केशवराम सुपुत्र श्री नराताराम के दिवानी दावें में श्री केशवराम के विरुद्ध 20/– रुपये हरजाना के लगाए तथा यह आदेश मौखिक होने के कारण सम्बन्धित मिसल में फैसला/आदेश आज तक अनुलिखित है जिस कारण पंचायत सचिव फैसला/आदेश की नकल देने में असमर्थ रहें तथा अपनी कर्त्तव्यपरायणता न निभा सकें।

2. कि उक्त प्रधान ने श्री रामस्वरुप से उसके पुत्र जयदत जिसका जन्म पंचायत रजिस्टर में दर्ज नहीं था के बारा हलफिया बयान देकर उसे स्वयं प्रमाणित किया तथा सचिव श्री लक्ष्मी सिंह पर दबाव डालकर प्रमाण-पत्र जारी करके जबकि सचिव ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया था कि न तो प्रधान हलफिया ब्यान प्रमाणित करने के सक्षम हैं तथा न ही वर्ष 1978 में हुए जन्म को दर्ज करने व प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पंचायत सक्षम है परन्तु प्रधान ने यह कृत्य करके अपने पद का स्पष्टतया दुरुपयोग किया है।

3. कि प्रधान ने श्री सोमदत्त ग्राम बटोल की पुत्री कुमारी संगीता जिसका जन्म पंचायत रजिस्टर में दर्ज नहीं था, का प्रमाण-पत्र बिना रिकार्ड के जारी करके अपने पद का दुरुपयोग किया।

4. कि प्रधान द्वारा दो मोहरे (एक अपने घर सनोरा तथा दुसरी गिरिपुल में) रखी गई है तथा मई 1988 से अगस्त 1988 तक पंचायत बैठकों में अनुपस्थित रहें। प्रधान के इस कृत्य से जहां लोगों को प्रधान की मोहर की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहां पंचायत की कार्यकुशलता में भी काफी बाधा उत्पन्न होती रही। प्रधान का लगातार 4 बैठकों से अनुपस्थित रहना भी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 की स्पष्ट उलंघना है।

5. कि उक्त प्रधान द्वारा सभा क्षेत्र में खोले गये पशु फाटकों को बन्द करवा दिया गया जबकि पंचायत सचिव ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि ग्राम पंचायत के सदस्य व अन्य लोग प्रधान द्वारा पशु फाटक बन्द करने के विरोध में थे;

और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपमण्डलाधिकारी (ना0) राजगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

शिमला–171002, 15 मार्च, 1989

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए0 (5) 22/85.—क्योंकि श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कल्लर के विरुद्ध ग्राम सभा के कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत पर जिला अकेंक्षण अधिकारी, बिलासपुर द्वारा की गई छानबीन के फलस्वरुप यह तथ्य सामने आया है कि उक्त प्रधान पंचायत की बैठकों में नियमित रुप से भाग नहीं ले रहे हैं परन्तु बैठकों के उपरान्त कार्यवाही रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर कर देते हैं।

2. कि उक्त प्रधान अक्सर रविवार व अन्य अवकाश वाले दिन पंचायत की बैठक बुलाते हैं जिससे पंचायत सदस्य सहमत नहीं है;

कि उक्त प्रधान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कानून के सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तथा उन्होंने यह चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय के नियमों की उलंघना करते हुए कानून के उपबन्धों के अनुसार कोई भी इजाजत नहीं ली।

3. कि प्रधान के 4-4-88 को, कार्यवाही पुस्तिका पर ग्राम सभा की बैठक में हस्ताक्षर हैं परन्तु वास्तव में ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं हुई है।

और क्योंकि प्रधान श्री अमर सिंह के यह उपरोक्त कृत्य पंचायत की कार्य कुशलता में बाधक सिद्ध हो रहे हैं तथा उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जहां श्री अमर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कल्लर को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाए वहां तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा प्रधान ग्राम पंचायत कल्लर को यह भी आदेश देते हैं कि वह निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस का उत्तर एक माह के भीतर-भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करेगें।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।